न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–09 / 2023

दघिबल महतो उर्फ दघिबल सिंह.....वादी

बनाम

विष्णु महतो उर्फ विष्णु सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण

09.05.24 अभिलेख आज वादी की ओर से वादपत्र संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–28.03.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में अनापत्ति दर्ज की गई है।

वादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि टंकक भूल के कारण खेसरा सं0–1598, रकवा 3 डिसमिल दर्ज होना छुट गया है तथा वादपत्र की कंडिका–9 एवं 10 गलत रूप से दर्ज हो गया है एवं वादपत्र में कुछ जगह पर रकवा भी गलत रूप से दर्ज हो गया है। वादपत्र के मद सं0–2 एवं 3 में छुटे हए खेसरा को जोड़कर सुधार किया जाना आवश्यक है। वादी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अतः उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृत करते हुए वादपत्र में संशोधन करने की कृपा प्रदान की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान बंटवारा वाद वादपत्र के मद सं0–2 की भूमि पर 1/2 हिस्से के अनुतोष के साथ दाखिल किया गया है। वर्तमान वाद अभी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है तथा प्रस्तावित संशोधन वादपत्र में कंडिका एवं टंकक की भूल है जो औपचारिक प्रकृति का है जिसे सुधार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा मौखिक अनापत्ति दर्ज है। अतः वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त संशोधन आवेदन विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण एवं वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपना प्रस्तावित संशोधन वादपत्र में दर्ज करें।

अभिलेख दिनांक– 27-06-24 वास्ते धारा–89 सी0पी0सी0 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।